



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या 240 - का0वि0नी0 एवं वे0प्र0 - 29 / पाकालि / 2019 - 5 - पी / 90

दिनांक 06 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 107-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2019-5-पी/90 दिनांक 19.02.2011, जिसके द्वारा कारपोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के नियमित वाहन चालकों को उनकी कठिन सेवाओं के दृष्टिगत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रतिपूर्ति की धनराशि (मानदेय), जिसमें महंगाई भत्ता सम्मिलित नहीं है, अनुमन्य किये जाने के आदेश जारी किये गये थे।

2. एतद्वारा सम्यक् विचारोपरान्त कारपोरेशन एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के अन्तर्गत कार्यरत नियमित वाहन चालकों, जो वास्तव में वाहन से सम्बद्ध हों, को दिनांक 01.01.2016 से सप्तम वेतनमान के पुनरीक्षण के फलस्वरूप मानदेय के उन प्रकरण में, जहां एक निश्चित अवधि के अपुनरीक्षित वेतन के समतुल्य भुगतान किया गया है, पुनरीक्षित वेतन के समतुल्य अवशेष मानदेय के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष

सं0 240-(I) काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2019 - तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) अध्यक्ष, उ0प्र0 पा० का० लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3) प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा को इस अभ्युक्ति सहित प्रेषित कि उपरोक्त आदेश में आदेशित व्यवस्थानुसार सम्बन्धित मामलों में पुनरीक्षित वेतन के समतुल्य अवशेष मानदेय का भुगतान केवल नियमित वाहन चालकों को किया जायेगा। तदनुसार नियमित वाहन चालकों की वर्तमान तैनाती एवं नाम सहित विवरण कारपोरेशन मुख्यालय (का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29 अनुभाग) को उपलब्ध करायेंगे।
- 4) समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 5) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अभ्युक्ति सहित प्रेषित कि उपरोक्त आदेश में आदेशित व्यवस्थानुसार सम्बन्धित मामलों में पुनरीक्षित वेतन के समतुल्य अवशेष मानदेय का भुगतान केवल नियमित वाहन चालकों को किया जायेगा। तदनुसार नियमित वाहन चालकों की वर्तमान तैनाती एवं नाम सहित विवरण कारपोरेशन मुख्यालय (का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29 अनुभाग) को उपलब्ध करायेंगे।
- 7) समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं II), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- 8) अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा०का०लि०, एस०एल०डी०सी० परिसर, लखनऊ।
- 9) समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 10) संयुक्त सचिव (स०प्र०), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ को इस अभ्युक्ति सहित प्रेषित कि उपरोक्त आदेश में आदेशित व्यवस्थानुसार सम्बन्धित मामलों में पुनरीक्षित वेतन के समतुल्य अवशेष मानदेय का भुगतान केवल नियमित वाहन चालकों को किया जायेगा। तदनुसार नियमित वाहन चालकों की वर्तमान तैनाती एवं नाम सहित विवरण कारपोरेशन मुख्यालय (का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29 अनुभाग) को उपलब्ध करायेंगे।
- 11) समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०।
- 12) समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०।
- 13) लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
- 14) अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 15) समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16) अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं०-407 शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (का०वि०नी०)